आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– विविध अपील वाद सं0–19/14 श्रीमती नीतू देवी वनाम राज्य एवं अन्य
11/2015–16

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
04.07.2017	**आदेश** उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विविध वाद अपील संख्या 19/2014 नीतू देवी वनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 14.08.2015 को पारित आदेश के साथ अभिलेख उनके पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के चयन/चयनमुक्ति के मामलों में निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित किया गया है। उपरोक्त के आलोक में आंगनबाड़ी अपील वाद पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते नोटिश जारी किया गया। प्रस्तुत अपील वाद श्रीमती नीतू देवी उर्फ नीतू कुमारी, सेविका आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या 189 केन्द्र–रटनाहा मुशहरी, प्रखंड–अलौली, जिला–खगड़िया द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 240 दिनांक 25.04.2012 के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि दिनांक 15.03.2012 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अलौली द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र का जांच प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को भेजा गया। जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि केन्द्र संख्या 189 पर राशि खाते में उपलब्ध रहते हुए भी टी0एच0आर0 का वितरण नहीं किया गया और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा सेविका को चयन मुक्त करने की अनुशंसा की गयी। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा आदेश ज्ञापांक 240 दिनांक 25.04.2012 से आंगनवाड़ी सेविका श्रीमती नीतू देवी को चयन मुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन सुचारू रूप से चलाया जा रहा था और कहीं से भी उनके विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगा है तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 240 दिनांक 25.04.20 2012 द्वारा चयन मुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी से न तो कारण पृच्छा की मांग की गयी और न हीं यह बताया गया कि किस आरोप में चयन मुक्त किया गया। केवल आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि आई0सी0डी0एस0 का पत्रांक 956, दिनांक 14.03.2012 के आलोक में चयन मुक्त किया जाता है। यह निरंकुश आदेश है तथा प्राकृति न्याय का सरासर उल्लंघन है। बिना कारण पृच्छा पूछे बिना किसी आरोप के अपीलार्थी को चयन मुक्त करना असंवैधानिक है एवं विधि विरूद्ध है। उनके द्वारा अपील को स्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 25.04.2012 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के उक्त आदेश ज्ञापांक 240 दिनांक 25.04.2012 के विरूद्ध शांति देवी, आंगनवाड़ी सेविका केन्द्र संख्या 17, ग्राम पंचायत बांध चातर, ग्राम रटनाहा, प्रखंड–अलौली, जिला–खगड़िया द्वारा	

न्यायालय उप निदेशक, कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के यहां अपील वाद दायर किया गया था। अपील वाद संख्या 63/2013 शांति देवी वनाम् जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया में दिनांक 15.09.2014 को पारित आदेश में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 240, दिनांक 25.04.2012 को निरस्त किया जाय।

साथ ही अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा CWJC No 21876/2012 नीतू कुमारी वनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 14.02.2014 को पारित आदेश के आलोक में इस अपील वाद में आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश पर नियमानुसार तथ्यात्मक आदेश पारित किया जाय।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अलौली द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि केन्द्र सं0 189 पर राशि खाते में उपलब्ध रहते हुए भी टी0एच0आर0 का वितरण नहीं किया गया और उक्त के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को आंगनवाड़ी सेविका को चयन मुक्त करने की अनुशंसा की गयी तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा आदेश ज्ञापांक 240 दिनांक 25.04.2012 से श्रीमती नीतू देवी आंगनबाड़ी सेविका को चयन मुक्त कर दिया गया। नियमानुसार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा आंगनवाड़ी सेविका नीतू देवी से स्पष्टीकरण की मांग की जानी चाहिए थी और तद्आलोक में तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। लेकिन उनके द्वारा बिना स्पष्टीकरण प्राप्त किये ही चयन मुक्त कर दिया गया जो नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 240 दिनांक 25.04.2012 को निरस्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार श्रीमती नीतू देवी उर्फ नीतू कुमारी, सेविका आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या 189, केन्द्र–रटनाहा मुशहरी, प्रखंड–अलौली, जिला–खगड़िया से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सुनवाई करते हुए तथ्यात्मक आदेश पारित किया जाय।

इस आदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, खगड़िया।

न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी खगड़िया (बिहार)

समाहर्त्ता, खगड़िया।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 303 /विधि, दिनांक 7-9-17 प्रतिलिपिः–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 7/9/2017 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया।	